न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 10 / 2017 / जैसलमेर

अपीलांट

1. श्रीमती सुन्दर पुत्र भैरूलाल पत्नी हरदेव जाति पालीवाल उम्र 68 साल निवासी रीवड़ी तहसील फतेहगढ़ हाल निवासी मौकाती पाड़ा जैसलमेर तहसील व जिला जैसलमेर।

रैस्पोडेंटगण

बनाम 1.जेठाराम पुत्र लाधाराम
2.भगाराम पुत्र लाधाराम
3.स्व.राणाराम पुत्र लाधाराम
के कायम मुकाम :–
3 / 1मांगीलाल
3 / 2गेमराराम
3 / 3चुतराराम
3 / 4लालाराम
3 / 5छगनलाल वादीगण संख्या 3 / 1 ता 3 / 5 पिसरान स्व.राणाराम जातियान मेघवाल निवासीयान मण्डाई तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर।
4.तहसीलदार फतेहगढ जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ द्वारा विविध प्रकरण संख्या 86 / 2016 बअनवान जेठाराम वगै. बनाम श्रीमती सुंदर वगैरा में पारित आदेश दिनांक 09.06.2016 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री बसीर मोहम्मद अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री धर्माराम चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 22.08.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंटगण ने अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन अंतगर्त धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 39 नियम 1 ता 3 धारा 151 सी पी सी इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम मण्डाई में वर्तमान खसरा संख्या 1051 रकबा 23 बीघा भूमि हम प्रार्थीगण / वादीगण व हमारे वालिदान की समरी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है। जिस पर वक्त समरी बंदोबस्त के समय भी वादीगण संख्या 01 जेठाराम स्व. राणाराम व इनके पिता लाधाराम काबिज काश्त थे इसलिये यह आराजी वक्त समरी से वादीगण की खातेदारी में व कब्जे काश्त में दर्ज रही है। वादग्रस्त आराजी पर बहैसियत खातेदार आज दिन तक निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 01 श्रीमती सुन्दर का कोई अधिकार नहीं है। स्थाई भू–प्रबंधक विभाग द्वारा वादग्रस्त आराजी को बिना किसी आधार के बिलकुल गलत रूप से प्रार्थीगण व इनके पिता की खातेदारी में दर्ज न कर अपीलांट की खातेदारी में दर्ज

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

कर दी। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने जबाव पेश कर निवेदन किया कि समरी बन्दोबस्त संवत 2012 से पूर्व मु0 कमला व सुन्दर पुत्री स्व0 भैरूलाल कौम पालीवाल के पूर्वजों का खातेदारी खेत था और जब संवत 2012 में जब समरी बंदोबस्त वाले पैमाईश के वक्त आये जो उस वक्त मु. कमला व सुन्दर पुत्रियां भैरूलाल नाबालिग थी और यह जमीन मु. कमला व सुन्दर की पुश्तैनी थी जो दोनों नाबालिग होने से यह खेत उनकी ओर से उनके गार्जिन वली द्वारा लाधाराम पुत्र चौथाराम कौम भांभी को काश्त करने के लिये व खेत की रखवाली के लिये उनको रखा था और प्रतिवादीनी का नाबालिगी का नाजायज फायदा उठा कर लाधाराम पुत्र चौथाराम ने समरी बंदोबस्त के समय उनकी जमीन पर नाजायज रूप से हड़पने के लिये पर्चा खतौनी मार्फत शब्द लाधाराम पुत्र चौथाराम लिखवाया जो कि बदनीति से लिखा गया है जो गैर कानूनी है। कोई भी व्यक्ति मजदूरी करने वाला, मजदूरी से काश्त करने वाला व रखवाली करने वाला मालिक, खातेदार, स्वामित्व वाला कब्जा धारी नहीं बन सकता। यह भूमि मुस्मात कमला व सुन्दर के नाम खातेदारी में संवत 2012 यानि 61 वर्ष पूर्व दर्ज हो चुकी थी उस वक्त से लेकर दावा तक न तो कभी लाधाराम पुत्र चौथाराम ने उजर एतराज किया और न ही उसके वारिसान ने उजर एतराज किया। इससे साफ जाहिर है कि प्रतिवादीगण के पूर्वज व वादीनी मु. कमला व मु. सुन्दर के मालिकाना हक, स्वामित्व खातेदारी की कब्जा काश्त भूमि स्वीकार करते आये है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में रेस्पोडेंटगण ने अपीलांट को अपनी खातेदारी भूमि नाजायज तरीके से उसे काश्त करने से रोका व जबरन अपने बल व पैसों के बलबूते पर उसको खेत में प्रवेश करने व उपयोग व उपभोग करने से रोका गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि समरी बन्दोबस्त संवत 2012 से पूर्व मु0 कमला व सुन्दर पुत्री स्व0 भैरूलाल कौम पालीवाल के पूर्वजों का खातेदारी खेत था और जब संवत 2012 में जब समरी बंदोबस्त वाले पैमाईश के वक्त आये जो उस वक्त मु. कमला व सुन्दर पुत्रियां भैरूलाल नाबालिग थी और यह जमीन मु. कमला व सुन्दर की पुश्तैनी थी जो दोनों नाबालिग होने से यह खेत उनकी ओर से उनके गार्जिन वली द्वारा लाधाराम पुत्र

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

चौथाराम कौम भांभी को काश्त करने के लिये व खेत की रखवाली के लिये उनको रखा था और प्रतिवादीनी का नाबालिगी का नाजायज फायदा उठा कर लाधाराम पुत्र चौथाराम ने समरी बंदोबस्त के समय उनकी जमीन पर नाजायज रूप से हड़पने के लिये पर्चा खतौनी मार्फत शब्द लाधाराम पुत्र चौथाराम लिखवाया जो कि बदनीति से लिखा गया है जो गैर कानूनी है। कोई भी व्यक्ति मजदूरी करने वाला, मजदूरी से काश्त करने वाला व रखवाली करने वाला मालिक, खातेदार, स्वामित्व वाला कब्जा धारी नहीं बन सकता। यह भूमि मुस्मात कमला व सुन्दर के नाम खातेदारी में संवत 2012 यानि 61 वर्ष पूर्व दर्ज हो चुकी थी उस वक्त से लेकर दावा तक न तो कभी लाधाराम पुत्र चौथाराम ने उजर एतराज किया और न ही उसके वारिसान ने उजर एतराज किया। इससे साफ जाहिर है कि प्रतिवादीगण के पूर्वज व वादीनी मु. कमला व मु. सुन्दर के मालिकाना हक, स्वामित्व खातेदारी की कब्जा काश्त भूमि स्वीकार करते आये है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में रेस्पोडेंटगण ने अपीलांट को अपनी खातेदारी भूमि नाजायज तरीके से उसे काश्त करने से रोका व जबरन अपने बल व पैसों के बलबूते पर उसको खेत में प्रवेश करने व उपयोग व उपभोग करने से रोका गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2015(1) Page 633
RRT 2014(1) Page 523
RRT 2014(2) Page 1301
RRT 2010(1) Page 588
RRT 2009(2) Page 1327
RRT 2012(2) Page 1316

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए बताया कि ग्राम मण्डाई में वर्तमान खसरा संख्या 1051 रकबा 23 बीघा भूमि हम प्रार्थीगण/वादीगण व हमारे वालिदान की समरी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है। जिस पर वक्त समरी बंदोबस्त के समय भी वादीगण संख्या 01 जेठाराम स्व. राणाराम व इनके पिता लाधाराम काबिज काश्त थे इसलिये यह आराजी वक्त समरी से वादीगण की खातेदारी में व कब्जे काश्त में दर्ज रही है। वादग्रस्त आराजी पर बहैसियत खातेदार आज दिन तक निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 01 श्रीमती सुन्दर का कोई अधिकार नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

स्थाई भू–प्रबंधक विभाग द्वारा वादग्रस्त आराजी को बिना किसी आधार के बिलकुल गलत रूप से प्रार्थीगण व इनके पिता की खातेदारी में दर्ज न कर अपीलांट की खातेदारी में दर्ज कर दी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के समय व उसके बाद आज दिन तक कब्जा रेस्पोडेंट/वादीगण का रेकर्ड से प्रथम दृष्टया साबित है। यह भी साबित पाया गया कि नियमित बंदोबस्त मे यह आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज हुई तथा बाद में बिना प्रार्थीगण को सूचना दिये व बिना सुनवाई का अवसर दिये वादीगण के खाते से कम कर अपीलांट के खाते में दर्ज कर दी। अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की उम्र 68 साल होने से व वृद्धावस्था में होने से उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और उसके कमर दर्द व घुटनों के जोड़ में दर्द रहता है उठने–बैठने व चलने–फिरने से लाचार है। डॉ. ने उसे आराम करने की सलाह दी थी। कुछ दिन पूर्व अपीलांट के वकील की सूचना मिलने पर कि रेस्पोडेंटस जेठाराम वगैराह दिनांक 10.03.2017 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट की खातेदारी भूमि में घुस कर अवैध तरीके से नाजायज कब्जा जमाना चाहते है। उच्च न्यायालयों ने भी ग्रामीण व्यक्तियों, अनपढ, जाहिल व औरत जात जिन्हें कानून का कोई ज्ञान नहीं होने से मियाद अधिनियम का लाभ दिया है और अपील का निर्णय कानूनी टैक्नीलकल ग्राउन्ड पर नहीं दिया जाकर मैरिटस पर दिया जाय तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट के घुटनों व कमर का दर्द बुढापे की बीमारी है जिसे प्राय अधिकांश वृद्ध भुगतते है बीमारी के आधार पर सहानुभूति अवश्य प्रकट की जा सकती है परन्तु उससे अपील पेश करने में हुए विलंब को प्रभावित नहीं किया जा सकता। अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपली पेश करने में हुई देरी का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये जो इस प्रकार है :–

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

RRT 2011(2) Page 851
RRT 2010(2) Page 801
RRT 2009 Page 994
RRT 2008(2) Page 1095
RRT 2015(1) Page 232

अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन के देरी का विवरण नहीं बताया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। सिलाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का सिंहावलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करके पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट वक्त सेटलमेंट से विवादित आराजी की रिकॉर्डेड खातेदार है। वक्त सेटलमेंट राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक अपीलांट अल्पवय थी इसलिए उसे बतौर खातेदार जरिये लाधाराम (रस्पोडेंट के पिता) दर्ज किया गया। विवादित भूमि की वह वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक अभिलिखित खातेदार है। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उसके खातेदारी अधिकारों के उपयोग एवं उपभोग में व्यवधान डालना है। अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है और अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध एवं त्रुटियुक्त होने से खारिज करने योग्य है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ द्वारा विविध प्रकरण संख्या 86/2016 बअनवान जेठाराम वगै. बनाम श्रीमती सुंदर वगैरा में पारित आदेश दिनांक 09.06.2016 को अपास्त किया जाता है।

22/8/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
(नखतदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

यह आदेश आज दिनांक 22.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/8/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner